संख्या:46/2021/846/आठ-1-21-01विविध/2000

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2021**

विषयः वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना) 2020 के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना, 2020) के संचालन सम्बंधी दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं। उक्त शासनादेश में आवेदन करने हेतु दिनांक 06.03.2020 से 03 माह की अवधि निर्धारित की गयी थी।

2- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-703/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 06.06.2020 द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन देने की तिथि दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ायी गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-39/2020/879/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 06.08.2020 द्वारा उक्त योजना में कतिपय संशोधन किये गये हैं। पुनः कोविड-19 महामारी तथा अभिकरणों द्वारा उक्त योजना की समयावधि बढ़ाये जाने हेतु किये गये अनुरोध पर शासनादेश संख्या-43/2020/1322/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 30.09.2020 द्वारा उक्त योजना के तहत आवेदन पत्र देने की तिथि दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ायी गयी।

3- ओ0टी0एस0 योजना-2020 में दिनांक 31.12.2020 तक कतिपय आवेदन पत्र आफलाइन प्राप्त हुए थे, जिन्हें ऑनलाइन नहीं किया जा सका था। अतः कोविड महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जो आवेदन पत्र 31.12.2020 तक आफलाइन प्राप्त हो गये थे तथा जिन्हें ओ0टी0एस0 योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, उन प्रकरणों को एक बार पुनः ओ0टी0एस0 का लाभ देने हेतु 01 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि को ब्याज दर की शून्य (Zero) अवधि मानते हुए ओ0टी0एस0 का लाभ दिया जाए तथा ओ0टी0एस0 योजना में आवेदन प्राप्त करने की तिथि 01 जुलाई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक (01 माह) बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020, शासनादेश संख्या-39/2020/879/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 06.08.2020 एवं शासनादेश संख्या-43/2020/1322/आठ-1-20-01विविध/, दिनांक 30.09.2020 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबंधन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

29.6.2021

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)

उप सचिव

ht://hsndehu